सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819 :: E-mail: cuspoltry@gmail.com

सी.सं. VIII/09/04/2017-सीशु नीति दिनांक 13.11.2017

सार्वजनिक सूचना सं.: 13/2017

विषय : सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 96 के अंतर्गत निर्यात माल पर प्रदत्त सीजीएसटी का प्रतिदाय - के बारे में ।

उपरोक्त विषय पर बोर्ड के परिपत्र सं 42/2017-सीशु दिनांक 07.11.2017 की ओर सभी निर्यातकों/सीमा शुल्क ब्रोकर/शिपिंग एजेंट/ वयापार एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

जीएसटी परिषद ने अपनी 22वीं बैठक में निर्यातकों के लिए एक मुख्य राहत पैकेज अनुमोदित किया है । परिषद का एकमत था कि निर्यात समूह की सहायता के लिए, जो मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और महत्वपूर्ण रोजगारी विशेषत: लघु एवं मध्य सेक्टर में, प्रदान करता है, सभी संभव उपाय किया जाना राष्ट्र के हित में है । परिषद ने अनुमोदित किया कि जुलाई में निर्यात किए गए माल पर प्रदत्त आइजीएसटी की प्रतिदाय 10.10.2017 तक आरंभ किया जाएगा और उत्तरवर्ती महीने का प्रतिदाय शीघ्र ही वितरित किया जाएगा । सरकार के वचनबद्धता के अनुरूप, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर प्रदत्त आइजीएसटी के प्रतिदाय के शीघ्र वितरण के लिए सीबीईसी ने पहले ही उपयुक्त अनुदेश जारी किया है । 10 अक्तूबर 2017 से जूलाई 2017 में किए गए निर्यात के लिए प्रतिदाय का वितरण हो रहा है । जिन मामलों में निर्यातक ने जीएसटीआर 3बी फाइल किया है और निर्यातक द्वारा जीएसटीआर 1 एवं जीएसटीआर 3बी में दी गयी सूचना उनके द्वारा दायर किए शिपिंग बिल में दिए गए विवरण से मेल खाती है, प्रतिदाय अदा किया जा युका है । लेकिन ऐसे कई मामले हैं जिनमें ईजीएम/जीएसटीआर 1 रिटर्न/शिपिंग बिल में त्रुटियों के कारण आइजीएसटी को प्रतिदाय नहीं किए जा सके । आइजीएसटी प्रतिदाय के विवरण में बाधा डालनेवाले आम त्रुटियॉ का विश्लेषण और ऐसी त्रुटियों के निराकरण के लिए किए गए निर्णय निम्न प्रकार है :

क. जुलाई 2017 मास में किए गए माल के निर्यात के लिए आइजीएसटी प्रतिदाय :

i.जीएसटीआर 1 में गलत एसबी संख्या

ऐसे मामले हैं जिनमें जीएसटीआर 1 में उल्लिखित शिपिंग बिल की संख्या या तो विद्यमान नहीं है या दूसरे कोई निर्यातक का हो । इन दावाओं के संबंध में जीएसटीआर 1 (पूर्व कर अवधि के विवरणी में प्रस्तुत कर योग्य जावक आपूर्ति विवरण में संशोधन) को संशोधित करके सही शिपिंग बिल संख्या का इंदराज करना ही एक मात्र उपाय है । इन मामलों में जूलाई 2017 के जीएसटीआर 1 में दी गयी सूचना में संशोधन को अगस्त 2017 के जीएसटीआर 1 के तालिका 9ए में इन्दराज करना है । जीएसटीएन को इस तालिका का तत्काल कार्यान्वयन करने को कहा गया है ताकि संशोधन फाइल करने के तुरन्त बाद इस प्रकार के दावाओं पर कार्रवाई की जा सके ।

ii. बीजक संख्या और प्रदत्त आइजीएसटी रकम में बेमेल

आंकडे के विश्लेषण से पता चला कि निर्यातकों ने जीएसटी और सीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए अलग-अलग बीजक संख्या का उल्लेख किया है । जीएसटीआर 1 में जो प्रदत्त रकम दिखायी गयी है वह, शिपिंग बिल में दिखाई आइजीएसटी प्रदत्त रकम से मेल नहीं खाती है । क्योंकि एक ही लेन-देन, जीएसटी अधिनियम के अधीन और सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन रिपोर्ट की जाती है निर्यातक ध्यानपूर्वक यह सुनिश्चित कर लें कि जीएसटीआर 1 एवं शिपिंग बिल में बीजक के विवरण, यथा बीजक संख्या, प्रदत्त आइजीएसटी, आदि एक दूसरे से मेल खाते हैं ।

iii. ईजीएम त्रुटि

कुछ मामलों में निर्यात सामान्य मालसूची (मेनिफेस्ट) और शिपिंग बिल में पेश की गयी सूचना में बेमेल या ईजीएम के गैर फाइलिंग के कारण केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियमावली, 2017 के नियम 96(2) की 'भारत से बाहर निर्यात' अपेक्षा का अनुपालन पूर्ति किए बिना रह गयी । यह भी पाया गया कि कई आसीडी के शिपिंग बिलों में गेटवे ईजीएम हस्त से भरा गया है जिसके कारण सिस्टम ईजीएम विवरण से मेल नहीं कर पा रहा हे । अत: यह सुनिश्चित किया जाना हे कि आइसीडी/गेटवे पत्तन में प्रचालित सभी शिपिंग लाइन ईजीएम को ऑनलाइन फाइल करते है । सभी आइसीडी एवं गेटवे पत्तन को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया गया है कि जुलाई 2017 में निर्यात किए परेषण के लिए 31 अक्तूबर तक अनुपूरक ईजीएम ऑनलाइन फाइल किया गया हैं । उत्तरवर्ती महीने के लिए भी आइसीडीयों को यह सुनिश्चित करना है कि शिपिंग लाइन, गेटवे ईजीएम को अवश्य ऑनलाइन ही फाइल करते है । अनुपूरक ईजीएम सफलतापूर्वक फाइल किए मामलों के लिए प्रतिदाय पहले ही दिया जा रहा है ।

iv. <u>सीमा शुल्क को गलत बैंक खाता दिया जाना</u>

कुछ मामलों में सीमा शुल्क के पास उपलब्ध बैंक खाते पीएफएमएस द्वारा अमान्य किए गए हैं । ऐसे खाते/आइईसी पर रिपोर्ट, आयुक्तालयों को सिस्टम निदेशालय द्वारा आइसीईएस और ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं । वे संबंधित मंडलों को अग्रेषित किए गए हैं । निर्यातकों को सलाह दिया जाता है कि अगर उनका खाता पीएफएमएस द्वारा मान्य नहीं ठहराया गया है तो उन्हें अपने विवरण ईडीआइ सिस्टम में ठीक करवाने हैं । निर्यातकों को यह भी सलाह दिया जाता है कि वे अकसर अपने बैंक खाते विवरण को न बदलें ताकि प्रतिदाय की अदायगी में विलंब से बच सकते हैं ।

<u>ख. अगस्त 2017 मास के माल के निर्यात के लिए आइजीएसटी प्रतिदाय</u> :

जीएसटीएन ने शून्य दर की आपूर्ति से संबंधित सूचना भरने के लिए निर्यातकों को जीएसटीआर 1 में तालिका 6 ए घोषित करने की उपयोगिता प्रदान की है । निर्यातक जैसे ही तालिका 6ए फाइल करते है अगस्त 2017 में किए गए निर्यात के लिए प्रतिदाय स्वीकृत करना संभव होगा । निर्यातकों को पहले ही अपने शिपिंग बिल डाटा को आइसगेट वेबसाइट पर ऑनाइन देखने का विकल्प दिया गया है ताकि वे अपने तालिका 6ए को बिना गलती के फाइल करना सुनिश्चित कर सकते हैं । जुलाई में आइजीएसटी प्रतिदाय के वितरण में बाधा डाले आम त्रुटियों को उत्तरवर्ती महीने में दोहराए न जाने को भी निर्यातक सुनिश्चित कर सकते हैं ।

2. जीएसटी परिषद ने अपनी 22वीं बैठक में व्यापारी निर्यातक को आपूर्ति के लिए 0.1% जीएसटी दर को अनुमोदित किया है और इसके लिए अधिसूचना सं 41/2017-एकीकृत कर (दर) अधिसूचना सं 40/2017 -सीजीएसटी (दर) और अधिसूचना सं 40/2017-यूटी जीएसटी(दर) सभी 23 अक्तूबर 2017 दिनांकित, जारी किए गए हैं । उक्त लाभ उपरोक्त अधिसूचनाओं में विहित शर्तों के अधीन है । योजना का लाभ उठाने के लिए व्यापारी निर्यातकों को निम्नलिखित पूर्वावधान लेने का सलाह दिया जाता है :

i. शिपिंग बिल के तीसरी पार्टी कालम में प्रत्येक मद् के सामने पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के नाम और जीएसटीआइएन देना है । शिपिंग बिल फार्मेट के एआरई प्रमाणपत्र एवं दिनांक कालम में प्रत्येक मद के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता का जीएसटी बीजक विवरण को घोषित करना है । आइसीईएस आवेदन में आवश्यक परिवर्तन पहले ही किए जा चुके हैं । अधिसूचना शर्तों की पूर्ति के लिए शिपिंग बिल प्रतियों में तीसरी पार्टी विवरण मुद्रित किया जाएगा ।

ii. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा बहु आपूर्ति वाले निर्यात परेषण के मामले में पंजीकृत प्राप्तिकर्ता (व्यापारी निर्यातकों)को और शिप्रिग बिल के प्रत्येक मद के सामने सभी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और संबंधित बीजक के विवरण देना है ।

iii. रियायती जीएसटी पर पंजीकृत प्राप्तिकर्ता की आपूर्ति के संबंध में उपरोक्त अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, पंजीकृत प्रधान कारोबार स्थान या पंजीकृत अतिरिक्त कारोबार स्थान को "पंजीकृत भांडागार" माना जाएगा ।

iv. पंजीकृत प्राप्तिकर्ता (व्यापारी निर्यातक), अगर आवश्यक हो तो पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को शिपिंग बिल की प्रतियों देते समय वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील सूचना को अपवर्जित कर सकते हैं ।

अशोक

(अशोक)
आयुक्त

सेवा में,
1. डाक सूची के अनुसार
2. आयुक्तालय की वेबसाइट
3. सूचना बोर्ड, तिरुच्चि

प्रतिलिपि प्रस्तुत :
मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि.